न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :- 171/2008 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- उदा उर्फ उदेसिंह बनाम बेगराज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	वि0 वि0
11.2.2017	अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली निस्तारण हेतु लोक अदालत में पेश हुई । तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 475/0-41, 526/0-19, 467/717/0-18, 515/723/0-10, 515/724/0-10 343 मिन/0-55 वाके ग्राम शहजादपुर तहसील मुण्डावर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की मुश्तर्का कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है । परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी अकेले का नाम गलत तौर पर दर्ज हो गया है । जिसका नाजायज फायदा उठाकर वह आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है और प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत करता है । अतः उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । हाल जमावन्दी सम्वत 2062-65 में अन्य खातेदारों के साथ साथ रेस्पो0 बेगराज का नाम दर्ज है । आवंटन आदेश दिनांक 23.9.75 के अनुसार विवादित भूमि रेस्पो0 बेगराज को आवंटित होना पाया जाता है । उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से सिद्ध है कि प्रश्नगत भूमि अकेले बेगराज को अलोट हुई थी और वह राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है । विवादित भूमि में	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
[illegible]

Scanned by CamScanner

अपीलांट का हक बनता है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो मूल वाद में होना है । विवादित भूमि रेस्पो0 बेगराज को अलोट होने एवं राजस्व रिकार्ड में वह खातेदार दर्ज होने की स्थिति में उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.8.2008 यथावत रखा जाता है ।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner